International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण में सरकार द्वारा किये गये प्रयास

डॉ. रेखा गुप्ता

प्राचार्य शास. नेहरू स्नात. महा.आगरमालवा (म. प्र.)

शोध सार

विश्व के सभीदेशों के आर्थिक विकास में बौद्धिक सम्पदा अधिकार का विशेष योगदान होता है। भिन्न–भिन्न देशों में बौद्धिक सम्पदा कानून भिन्न–भिन्न प्रारूपों में पाया जाता है। कुछ संपन्न देशों में इस कानून का सख्ती से पालन उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रभाव सदैव सकारात्मक नहीं होता कभी–कभी अर्थव्यवस्था पर इस का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नवाचार और नए विचारों के उद्गम के लिए नागरिकों के उनके हितों की रक्षा करना आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुवे भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न अधनियम बनाये जाते रहे हैं।

शब्दकुंजी :बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराईट, सरकार के प्रयास,

प्रस्तावना

मानव प्रारम्भ से ही जिज्ञासू प्राणी रहा है, और इसी जिज्ञासा की संतृप्ति के लिए मानव विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कार करता रहता है। अपनी क्रियात्मक प्रवृत्ति के कारण उपजे विचार, खोज एवं आविष्कारों को वह संरक्षित करना चाहता है। स्वयं के द्वारा किये गये खोज एवं आविष्कारों पर उसका पूर्ण प्राधिकार होता है, किन्तु फिर भी उन विचारों को सुरक्षित रखना हमेंशा एक चिंता का विषय रहा है।

किसी व्यक्ति द्वारा किया गया नवाचार कार्य उसका मौलिक कार्य होता है। यदि इस नवाचार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के अपने निजी कार्य में उपयोग किया जाता है या स्वयं के नाम से उसे प्रसारित कर दिया जाता है तो यह नवाचार रचयिता के अधिकारों का उल्लंघन है।

जब इस चिंता के विषय पर गहन चिंतन एवं मनन हुआ तो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किये जाने लगे जिसमें सबसे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) की नींव रखी गयी। इस संगठन द्वारा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक परिचय :

बौद्धिक सम्पदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाईन, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि को कहते है। जिस प्रकार कोई भौतिक धन का स्वामी होता है उसी प्रकार कोई बौद्धिक सम्पदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान किए जाते है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के उचित अनुपालन से क्रियात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। लोग नवाचार के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसका एक उपयुक्त उदाहरण तब प्रस्तुत हुआ जब भारतीय मुद्रा का प्रतिक चिन्ह (मोनो) डिजाईन किया जाना था, तब देश की समस्त जनता ने अपने–अपने दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा का प्रतिक चिन्ह डिजाइन कर प्रेषित किया और उसमें से उदय कुमार नामक व्यक्ति का प्रतिक चिन्ह चयनित होकर आज भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है।

बाजार से एकाधिकार रोकने व संतुलन स्थापित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक उत्कृष्ट कदम है, बौद्धिक सम्पदा अधिकार द्वारा स्वामी को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते है जिससे वह अपनी रचना को उपयोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्तियों को भी सदैव सकता है या तो रचयिता की सहमति से अथवा उसकी फीस अदा करके चुंकि एकाधिकार पर स्वयं का अधिकार रहता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकारः

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकारों को निम्नांकित चार्ट की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है–

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकार

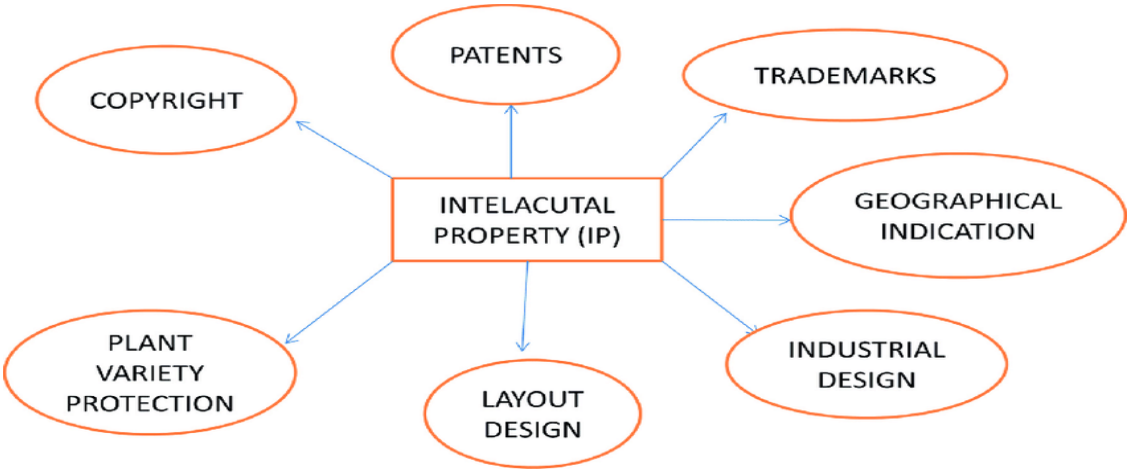

- **पेटेंट**

पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है। जो सामान्य रूप से कुछ करने का एक नवीन तरीका प्रदान करता है, या किसी समस्या का एक नवीन तकनीकी समाधान प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट आवेदन में आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी जनता के सामने प्रकट की जानी चाहिये।

- **कॉपीराइट**

कॉपीराईट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग रचनाकारों के साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के अधिकारों का वर्णन करने के लिये किया जाता है। पुस्तकों, संगीत, चित्रों, मूर्तिकला एवं फिल्मों से लेकर कम्प्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र तथा तकनीकी चित्र भी कॉपीराईट के अन्तर्गत् आते हैं।

- **ट्रेडमार्क**

ट्रेडमार्क ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्योग या व्यापार की वस्तुओं एवं सेवाओं को दूसरे उद्योग या व्यापार की वस्तुओं एवं सेवाओं से भिन्न किया जा सके। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के रुप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनी या विशिष्ट प्रकार के रंग के रुप में हो सकता है।

- **औद्योगिक डिजाईन**

एक कानूनी अर्थ में औद्योगिक डिजाईन एक लेख के सजावटी पहलू का गठन करता है। एक औद्योगिक डिजाईन में तीन आयामी विशेषताएं शामिल हो सकती है जैसे कि एक लेख का आकार या दो आयामी विशेषताएं जैसे पैटर्न, रेखाएं या रंग।

- **भौगोलिक संकेतक**

एक भोगौलिक संकेत उन उत्पादों पर किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भोगौलिक उत्पत्ति होती है तथा उस मूल के कारण गुणवत्ता होती है। भोगौलिक संकेत के रुप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी दिये गये स्थान पर उत्पाद की पहचान करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उत्पाद के गुण, विशेषताएं अनिवार्यतः मूल स्थान के कारण होनी चाहिये। चुंकि गुण उत्पादन के भोगौलिक स्थान पर निर्भर करते हैं, इसलिए उत्पाद एवं उसके उत्पादन के मूल स्थान के मध्य एक स्पष्ट संबंध होता है।

- **व्यापार रहस्य**

व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार है जिन्हें बेचा या लायसेंस दिया जा सकता है।

बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण में सरकार द्वारा किये गये प्रयास–

1. **पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005**

भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम सर्वप्रथम वर्ष 1911 में बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् 1970 में पुनः पेटेंट अधिनियम बनाया गया जिसे 1972 में लागू किया गया। समय–समय इस अधिनियम में संशोधन किये जाते रहे है। जैसे पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2002 पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 एवं पेटेंट संशोधन अधिनियम 2021।

इस संशोधन के अनुसार **''प्रोडक्ट पेटेंट''** का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया है उदाहरणार्थ खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत कर दिया गया।

2. **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999**

ट्रेडमार्क के लिए भारत में 1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम बनाया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम में चिन्ह, ध्वनि, शब्द, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि को शामिल किया गया।

3. **कॉपीराइट अधिनियम, 1957**

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर सम्पूर्ण भारत देश में लागू किया गया।

4. **डिजाइन अधिनियम 2000**

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक डिजाइन की रक्षा के लिए डिजाइन अधिनियम 2000 बनाया गया।

5. **भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999**

ज्ब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट या वस्तु का पंजीयन अपने नाम से करवा लेता है तो वह उसका स्वामी हो जाता है। उसके उपरान्त अन्य कोई व्यक्ति उसके नाम का उपयोग न कर सके इसलिए वस्तु का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 लागू किया गया।

6. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016**

भारत सरकार ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी प्रदान की थी। भारत में बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण और प्रोत्साहित इस अधिकार नीति के द्वारा दिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत सात लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1. समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकार के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन को बढ़ावा देना।
3. मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना जिससे कि बौद्धिक सम्पदा के हकदार और लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
4. सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
5. व्यवसायिककरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकार का मूल्य निर्धारण करना।
6. बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना।
7. मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकार में कौशल निर्माण करना।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

1. **औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कंवेंशन, 1883**

इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क औद्योगिक डिजाइन आविष्कार के पेटेंट शामिल किये गए है।

2. **साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए वन्य कन्वेंशन, 1886**

इसके अंतर्गत साहित्यिक एवं कलाकृतियों जैसे उपन्यास, लघुकथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राईंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प आदि को शामिल किया गया है।

3. **मराकेस संधि, 2013**

किसी किताब को ब्रेन लिपि में छापे जाने को इस संधि के अनुसार बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। भारत ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम इस नीति को अपनाया।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण की स्थिति

वैश्विक बौद्धिक संपदा सूंचकांक में भारत 53 देशों की सूची में 40 वें स्थान पर एवं 38.46 प्रतिशत के साथ रहा। जबकि वर्ष 2019 में भारत 50 देशों की सूची में 36 वें स्थान पर 36.04 प्रतिशत के साथ था।

वर्ष 2021 में 53 देशों में से भारत 40 वें स्थान पर 38.04 था। WIPO ने अपने अर्न्तराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा स्कोर के 38 में से 38.6 प्रतिशत तक सुधार किया जिसके परिणाम स्वरूप भारत 2022 में अंर्तराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में से 43 वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक US Chambers of commerce द्वारा संकलित की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) का भी सदस्य है जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों को प्रशासित करता है। 2020 सूचकांक में शामिल दो नवीन देशों ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है।

बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत की प्रथम नीति है। जो भारत में रचनात्मकता, नवोन्मेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। किसी व्यक्ति के मौलिक कार्य की चोरी को रोकेगी आम तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकार नवप्रवर्तक को एक विशेष अवधि के लिए उसके कार्य पर उसे अधिकार या स्वामित्व देती है। इन अधिकारों को मानवधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि रचनात्मक, साहित्यिक या वैज्ञानिक प्रस्तुतियों के लेखक होने के परिणाम स्वरूप नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण से लाभ का अधिकार प्रदान करती है।

संदर्भ सूची:–

1. https://www.drishtiias.com/hindi/prelims-facts/international-intellectual-property-index-2022
2. https://testbook.com/ias-preparation/hi/national-ipr-policy
3. www.jetir.org
4. https://www.researchgate.net/figure/Different-types-of-IPR_fig1_339481869
5. http://ipo.gov.tt/types-of-ip/copyright/